

काउंसिलिंग राउंड 2 से संबंधित निर्देश

1) काउंसिलिंग राउंड 2 के लिए पात्रता :

प्रवेश परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थी काउंसिलिंग राउंड 2 में भाग ले सकते हैं। केवल उन अभ्यर्थियों को छोड़कर जिन्होंने फीस जमा कर दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) करा कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके अतिरिक्त वे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं जो पहले चरण की काउंसिलिंग में भाग नहीं ले सके थे या जिन्होंने पहले भाग लिया था लेकिन कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी।

2) जिन अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग राउंड 1 में सीट आवंटित हुई थी लेकिन उन्होंने फीस का भुगतान नहीं किया :

ऐसे अभ्यर्थियों को नीचे दिया गया संदेश दिखाया जाएगा –

“आपने आवंटित सीट के लिए निर्धारित फीस का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण आपको आवंटित सीट रद्द कर दी गई है।

यदि आप काउंसिलिंग राउंड 2 में भाग लेना चाहते हैं, तो 'Yes' बटन पर क्लिक करें।”

3) जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित सीट की फीस का भुगतान किया और 'Upgrade' विकल्प चुना :

जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित सीट की फीस का भुगतान करके अपनी वर्तमान आवंटित सीट सुरक्षित कर ली है। वे काउंसिलिंग राउंड 2 में भाग ले सकते हैं और अपनी मौजूदा सीट को बनाए रख सकते हैं।

केस 1— यदि आपको पहली च्वाइस नहीं मिली है और आपने केवल अपग्रेड आप्सन पर क्लिक किया है तो द्वितीय काउंसिलिंग एलाटमेंट में उपलब्ध सीटों के आधार पर पूर्व में चुने विकल्पों में वरियता क्रम से उपर के विकल्प मिलेंगे या जो मिला है वही रहेगा।



Accredited A" by NAAC

प्रवेश प्रकोष्ठ

Admission Cell

Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur

E-mail : admissioncell@ddugu.ac.in

केस 2— यदि आपको पहली च्वाइस नहीं मिली है और आप द्वितीय काउंसिलिंग में नये सिरे से च्वाइस भरना चाहते हैं तो प्रथम काउंसिलिंग में आप द्वारा दी गयी च्वाइस पूर्णतया निरस्त करते हुए द्वितीय काउंसिलिंग एलाटमेंट में उपलब्ध सीटों के आधार पर नये सिरे से एलाटमेंट किया जायेगा। इस स्थिति में आपको द्वितीय काउंसिलिंग में आपके द्वारा दिये गये विकल्पों में से विकल्प मिल सकता है जो अन्तिम होगा, अन्यथा की दशा में पहली काउंसिलिंग का एलाटमेंट बना रहेगा।

केस 3— यदि अभ्यर्थी प्रथम काउंसिलिंग में आवंटित विकल्प से नीचे के विकल्प का इच्छुक है तो उसे केस-2 की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।

“अतः यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी Choices का चयन वरियता क्रम सावधानी पूर्वक करें।”

4) जिन अभ्यर्थियों ने फीस का भुगतान किया है लेकिन 'Upgrade' विकल्प नहीं चुना :

ऐसे अभ्यर्थियों को भी काउंसिलिंग राउंड 2 में शामिल किया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों को नीचे दिया गया संदेश दिखाया जाएगा –

“आपने भुगतान करके अपनी वर्तमान सीट लॉक कर ली है।

यदि आप काउंसिलिंग राउंड दो में भाग लेना चाहते हैं, तो 'Yes' बटन पर क्लिक करें।”

जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित सीट की फीस का भुगतान करके अपनी वर्तमान आवंटित सीट सुरक्षित कर ली है। वे काउंसिलिंग राउंड 2 में भाग ले सकते हैं और अपनी मौजूदा सीट को बनाए रख सकते हैं।

केस 1— यदि आपको पहली च्वाइस नहीं मिली है और आपने केवल अपग्रेड आप्सन पर क्लिक किया है तो द्वितीय काउंसिलिंग एलाटमेंट में उपलब्ध सीटों के आधार पर पूर्व में चुने विकल्पों में वरियता क्रम से उपर के विकल्प मिलेंगे या जो मिला है वही रहेगा।



Accredited A" by NAAC

प्रवेश प्रकोष्ठ

Admission Cell

Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur

E-mail : admissioncell@ddugu.ac.in

केस 2- यदि आपको पहली च्वाइस नहीं मिली है और आप द्वितीय काउंसिलिंग में नये सिरे से च्वाइस भरना चाहते हैं तो प्रथम काउंसिलिंग में आप द्वारा दी गयी च्वाइस पूर्णतया निरस्त करते हुए द्वितीय काउंसिलिंग एलाटमेंट में उपलब्ध सीटों के आधार पर नये सिरे से एलाटमेंट किया जायेगा। इस स्थिति में आपको द्वितीय काउंसिलिंग में आपके द्वारा दिये गये विकल्पों में से विकल्प मिल सकता है जो अन्तिम होगा, अन्यथा की दशा में पहली काउंसिलिंग का एलाटमेंट बना रहेगा।

केस 3- यदि अभ्यर्थी प्रथम काउंसिलिंग में आवंटित विकल्प से नीचे के विकल्प का इच्छुक है तो उसे केस-2 की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।

“अतः यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी Choices का चयन वरियता क्रम सावधानी पूर्वक करें।”

निदेशक
प्रवेश प्रकोष्ठ